DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

24 August, 2024

भारत अमेरिका रक्षा समझौते

संदर्भ: *हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां भारत और अमेरिका ने SOSA और संपर्क अधिकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए।*

➢ **संविधान और महत्व**

- **उद्देश्य :** SOSA अमेरिका और भारत के बीच राष्ट्रीय रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता समर्थन को अनिवार्य बनाता है।
- **उद्देश्य :** आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को हल करना और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **प्रभाव :** यह रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) को मजबूत करता है और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलापन को बढ़ाता है।
- **साझेदारी :** भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर अमेरिका का 18वां एसओएसए साझेदार बन गया है।
- **कार्यान्वयन :** इसमें प्राथमिकता वितरण अनुरोधों के लिए समर्थन, अमेरिकी रक्षा प्राथमिकताएं और आवंटन प्रणाली (डीपीएएस) के तहत आश्वासन और भारतीय फर्मों के लिए आचार संहिता शामिल है।
- **महत्व :** इसका उद्देश्य रक्षा आपूर्ति के लिए सहयोग और निवेश रणनीतियों को बढ़ावा देना है, हालांकि यह गैर-बाध्यकारी है और प्रतिबंध-रहित भी नहीं है।
- **भावी कदम :** कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यवस्था के लिए पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते (आरडीपी) पर संभावित हस्ताक्षर करना।

➢ **बीईसीए (मूलभूत विनिमय और सहयोग समझौता):**

- **उद्देश्य :** भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक खुफिया जानकारी तक वास्तविक समय पर पहुंच प्रदान करना।
- **लाभ :** यह स्वचालित प्रणालियों, मिसाइलों और सशस्त्र ड्रोन की सटीकता को बढ़ाता है।
- **डेटा साझाकरण:** इसमें मानचित्र, उपग्रह चित्र, स्थलाकृतिक और वैमानिकी डेटा शामिल हैं।
- **उपयोग :** नेविगेशन, लक्ष्यीकरण और परिचालन दक्षता में सहायता करता है।

➢ **एलईएमओए (लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज समझौता ज्ञापन):**

- **हस्ताक्षरित :** अगस्त 2016
- **कार्य :** यह अमेरिकी और भारतीय सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों से पुनः सामग्री प्राप्त करने की अनुमति देता है।
- **पहुंच :** इसमें एक दूसरे की भूमि सुविधाओं, वायुसैनिक अड्डों और बंदरगाहों से आपूर्ति, स्पेयर पार्ट्स और सेवाएं शामिल हैं।
- **प्रतिपूर्ति :** इन सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति आवश्यक है।
- **नौसेना सहयोग :** यह विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौसेना-से-नौसेना सहयोग को बढ़ाता है।

➢ **COMCASA (संचार संगतता और सुरक्षा समझौता):**

- **हस्ताक्षरित :** सितम्बर 2018
- **कार्य :** यह समझौता अमेरिका की भारत को एन्क्रिप्टेड संचार उपकरण और प्रणालियां प्रदान करने की अनुमति देता है।
- **सुरक्षित संचार:** सैन्य कमांडरों, विमानों और जहाजों के लिए सुरक्षित संचार नेटवर्क सुनिश्चित करता है।
- **अंतरसंचालनीयता:** यह भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता को सुविधाजनक बनाता है।

➢ **जीएसओएमआईए (सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता):**

- **उद्देश्य :** अमेरिका और भारत के बीच सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने की अनुमति देना।
- **हस्ताक्षरित :** 2002
- **विस्तार :** औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (आईएसए), 2019 में हस्ताक्षरित।
- **आईएसए फ्रेमवर्क:** यह समझौता अमेरिकी और भारतीय रक्षा उद्योगों के बीच वर्गीकृत सैन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान और संरक्षण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

शिक्षा का अधिकार

संदर्भ *: हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरटीई अधिनियम के व्यापक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल आईडी के विलय का आदेश दिया है।*

➢ **शिक्षा के अधिकार के लिए संवैधानिक प्रावधान:**

- **प्रारंभिक प्रावधान:**
  - मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39 (f) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) का हिस्सा है, जो समान और सुलभ राज्य-वित्त पोषित शिक्षा की वकालत करता है।
- **प्रारंभिक रिपोर्ट और निर्णय:**
  - **1990 :** राममूर्ति समिति की रिपोर्ट शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज था।
  - **1993 :** उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया।
- **संवैधानिक संशोधन:**
  - **1999 :** तापस मजूमदार समिति ने अनुच्छेद 21ए को शामिल करने की सिफारिश की।
  - **2002 :** 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया, जिससे 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 अस्तित्व में आया।

➢ **शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की विशेषताएं:**

- **कवरेज :**
  - यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है।
- **सीट आरक्षण:**
  - धारा 12(1)(सी) गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चों के लिए प्रवेश स्तर की कक्षाओं में 25% सीटें आरक्षित करने का आदेश देती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

- **प्रवेश प्रावधान:**
  - गैर-प्रवेशित बच्चों को आयु-उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देना आवश्यक है।
- **जिम्मेदारियाँ और मानक:**
  - यह केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच साझा वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है।
  - छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), बुनियादी ढांचे, स्कूल कार्य दिवस और शिक्षक कार्य घंटों के लिए मानदंड निर्दिष्ट करता है।
- **शिक्षक विनियम:**
  - यह गैर-शैक्षणिक कार्यों (जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर) के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाता है।
  - शिक्षकों के लिए आवश्यक प्रवेश और शैक्षणिक योग्यताएं अनिवार्य की गई है।
- **निषेध :**
  - शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कैपिटेशन फीस, शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- **बाल-केंद्रित दृष्टिकोण:**
  - भय, आघात और चिंता से मुक्त, बाल-अनुकूल और बाल-केंद्रित शिक्षण वातावरण पर जोर दिया जाता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए कक्षा 8 से आगे आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा के विस्तार का तर्क:

- **शिक्षा की लागत:**
  - गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को कक्षा 9 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए उच्च फीस का सामना करना पड़ता है, जिसे वहन करना कई बच्चों के लिए संभव नहीं है।
  - कक्षा 8 के बाद निजी से सरकारी स्कूल में जाने से बच्चों की शिक्षा और मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।

उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण:

- **103वां संविधान संशोधन अधिनियम:**
  - अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में 10% आर्थिक आरक्षण लागू किया गया।
  - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मौजूदा आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया।
  - यह केंद्र और राज्य दोनों को ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है।

2023 में जलवायु की स्थिति

संदर्भ: *हाल ही में जलवायु परिवर्तन तीव्र हो गया है। 2023 में सूखे के नए रिकॉर्ड स्थापित होंगे, जिससे लगभग 8% भूमि क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित होगा।*

अत्यधिक सूखा और तापमान रिकॉर्ड

- जुलाई 2023 में, वैश्विक भूमि क्षेत्र का लगभग 8% भाग अत्यधिक सूखे का अनुभव करेगा, जो एक नया रिकॉर्ड होगा, जो जुलाई 2022 के 6.2% के पिछले उच्च स्तर को पार कर जाएगा।
- वैश्विक स्तर पर, 2023 में 29.7% भूमि को मध्यम या बदतर सूखे की श्रेणी का सामना करना पड़ेगा, जो एक और रिकॉर्ड स्थापित करने वाला आंकड़ा है।
- वैश्विक सतह का तापमान 1991-2020 के औसत से 0.55 से 0.60 डिग्री सेल्सियस अधिक था, जिससे 2023 1800 के दशक के मध्य से अंत तक रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से सबसे गर्म वर्ष बन गया।

ग्रीनहाउस गैसें और महासागर मेट्रिक्स

- प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें - कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं।
- 2,000 मीटर की गहराई तक वैश्विक महासागरीय ऊष्मा सामग्री और वैश्विक औसत समुद्र स्तर दोनों 2023 में नए उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे, जो पिछले वर्षों के रुझान को जारी रखेगा।

क्षेत्रीय प्रभाव और चरम मौसम घटनाए-

- मेक्सिको में 1950 के बाद यह सबसे शुष्क और गर्म वर्ष था।
- दक्षिण अमेरिका, पश्चिम एशिया और यूरोप में भयंकर सूखे का प्रभाव पड़ा, अमेज़न बेसिन में दशकों में सबसे भयंकर सूखा पड़ा।
- कनाडा में अब तक का सबसे खराब वन्य अग्नि सत्र दर्ज किया गया, जिसमें 15 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र जल गया, जो पिछले रिकॉर्ड से दोगुना से भी अधिक है।
- ग्रीस में रिकॉर्ड तोड़ आग लगी, जिससे दीर्घकालिक औसत क्षेत्रफल से चार गुना अधिक क्षेत्रफल जल गया।
- ऑस्ट्रेलिया ने 104 वर्षों में सबसे शुष्क तीन महीने का अनुभव किया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगी।

ध्रुवीय क्षेत्र और समुद्री बर्फ

- आर्कटिक में यह चौथा सबसे गर्म वर्ष था, जिसमें कई स्थानों पर पर्माफ्रॉस्ट का तापमान सबसे अधिक था।
- आर्कटिक समुद्री बर्फ का विस्तार 45 साल के रिकॉर्ड में पांचवां सबसे छोटा था।
- अंटार्कटिक समुद्री बर्फ विस्तार और क्षेत्र में रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंच गई, 2023 के आठ महीनों में नए मासिक निम्नतम स्तर के रिकॉर्ड स्थापित होंगे।

चक्रवात गतिविधि

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात गतिविधि औसत से कम थी, जिसमें 82 नामित तूफान थे, जबकि औसत 87 (1991-2020) था।
- इसके बावजूद, वैश्विक संचित चक्रवात ऊर्जा औसत से अधिक थी, जिसमें सात से अधिक चक्रवात श्रेणी 5 तक पहुंच गए।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

24 August, 2024

NEWS IN BETWEEN THE LINES

सुभद्रा योजना

हाल ही में, ओडिशा सरकार ने सुभद्रा योजना की घोषणा की है।

सुभद्रा योजना के बारे में:

- सुभद्रा योजना एक कल्याणकारी योजना है जिसका लक्ष्य 21 से 60 वर्ष की आयु की एक करोड़ महिलाओं को लाभ पहुँचाना है।
- इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को पाँच वर्षों की अवधि में कुल रु. 50,000 मिलेंगे।
- वित्तीय सहायता रु. 10,000 प्रति वर्ष की दर से वितरित की जाएगी।
- वार्षिक राशि का भुगतान रु. 5,000 की दो किस्तों में किया जाएगा, जो राखी पूर्णिमा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर होगी।
- सुभद्रा योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय रु. 55,825 करोड़ है।
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू की जाएगी और 2028-29 तक जारी रहेगी।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य व्यवसाय संचालकों (FBO) और ई-कॉमर्स FBO को निर्देश दिया है कि वे अपनी पैकेजिंग से A1 और A2 प्रकार के दूध और डेयरी उत्पादों से संबंधित सभी दावों को हटा दें।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के बारे में:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी
- यह भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानकों को विनियमित करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
- इसके विनियमनों का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को रोकना और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देना है।
- इसमें एक अध्यक्ष और 22 सदस्य शामिल हैं जो खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठनों और खाद्य वैज्ञानिकों सहित विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- FSSAI स्वस्थ खान-पान की आदतों को बढ़ावा देने और खाद्य अपव्यय को कम करने के लिए ईट राइट इंडिया आंदोलन जैसी विभिन्न पहल करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

हाल ही में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 70 छात्रों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनने वाले खाद्य विषाक्तता की कथित घटनाओं पर आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक निकाय है।
- इसकी स्थापना 12 अक्टूबर, 1993 को पेरिस सिद्धांतों के अनुसार की गई थी।
- यह मानवाधिकार उल्लंघनों की समीक्षा और समाधान करने तथा उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसे "हमारे देश के संविधान और न्यायालयों द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान से संबंधित अधिकारों" के रूप में मानवाधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है।
- यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, चार सदस्य और चार पदेन सदस्य शामिल हैं।
- अध्यक्ष और सदस्य पांच वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक कार्य करते हैं।

समाचार में स्थान

बोत्सवाना

हाल ही में, 2,492 कैरेट का हीरा, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है, हाल ही में कनाडा स्थित खनन कंपनी द्वारा उत्तरपूर्वी बोत्सवाना में कारोवे डायमंड माइन में खोजा गया।

बोत्सवाना (राजधानी: गैबोरोन)

स्थान: बोत्सवाना दक्षिणी अफ्रीका में एक स्थल-रुद्ध देश है।

सीमाएँ: बोत्सवाना नामीबिया (पश्चिम और उत्तर), जाम्बिया (उत्तर), जिम्बाब्वे (उत्तर-पूर्व) और दक्षिण अफ्रीका (दक्षिण और दक्षिण-पूर्व) के साथ अपनी सीमाएँ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएँ:

- बोत्सवाना का सबसे ऊँचा स्थान त्सोडिलो हिल्स पर स्थित है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी प्राचीन रॉक कला के लिए जाना जाता है।
- बोत्सवाना की प्रमुख नदियों में ओकावांगो, लिम्पोपो, चोबे, बोटेटी और मोलोपो नदियाँ शामिल हैं।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

	▪ बोत्सवाना खनिजों से समृद्ध है, जिसमें हीरे, तांबा, निकल, कोयला और सोना जैसे प्रमुख संसाधन शामिल हैं। **सदस्यता:** बोत्सवाना कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र (यूएन), अफ्रीकी संघ (एयू), दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय (एसएडीसी), राष्ट्रमंडल राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) शामिल हैं।	

POINTS TO PONDER

- फुफ्फुसीय एस्परगिलोसिस जैसे संक्रमणों को लक्षित करने के लिए एंटीफंगल दवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए हाल ही में कौन सा नवाचार विकसित किया गया है? **- पॉलीमेरिक नैनोकण**
- आईआईए खगोलविदों ने हाल ही में सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों की जांच करने के लिए एक विधि के लिए किस दूरबीन के डेटा का उपयोग किया है? **- कोडाईकनाल टॉवर टनल टेलीस्कोप**
- भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने वाराणसी में किसकी स्थापना की है? **- स्वच्छ नदियों के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) परियोजना**
- त्रिपुरा में डंबूर बांध से कौन सी नदी जुड़ी हुई थी, जिसे विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हाल ही में आई बाढ़ का कारण मानने से इनकार किया है? **- गुमटी नदी**
- किस कण त्वरक में हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा सबसे भारी एंटीमैटर नाभिक देखा गया था? **-रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर (आरएचआईसी)**